[Shri Tangamani]

second time that the initiative has come from Members. Even on the question of discussing the decentralisation scheme, the discussion was mooted by one of the private Members.

Mr. Deputy-Speaker: The discussion is over. The House will now take up the next item.

15.27 hrs.

RESOLUTION *RE*: SUGAR (REGULATION OF PRODUCTION) ORDINANCE, AND SUGAR (REGULATION OF PRODUCTION) BILL.

श्री ब्रजराज सिंह : (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निम्न लिखित प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति चाहता हूं:

"This House disapproves of the Sugar (Regulation of Production) Ordinance 1961 (Ordinance No. 3 of 1961) promulgated by the President on the 29th September, 1961."

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

"This House disapproves of the Sugar (Regulation of Production) Ordinance 1961 (Ordinance No. 3 of 1961) promulgated by the President on the 29th September, 1961."

The hon. Minister may move his motion, and I shall place that also before the House. Then I will ask the hon. Member to support his motion by his speech, so that he will be able to speak on the resolution as well as on the motion of the hon. Minister.

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): I beg to move:

"That the Bill to provide for the regulation of production of sugar in the interests of the general public and for the levy and collection of a special excise duty on sugar produced by a factory in excess of the quota fixed for the purpose, be taken into consideration."

I would like to know whether it is your intention that any observations on this would also follow the discussion on the motion by the hon. Member?

Mr. Deputy-Speaker: Yes; he will have an opportunity to speak on the resolution as well as on the motion for consideration of the Bill.

Shri S. K. Patil: May I submit one thing? On this motion for consideration of the Bill, the observations that I will be making will give a general picture of the whole position. That will be useful and the hon. Mover of the resolution will have the advantage of knowing the position. Otherwise, the position is that he first makes a speech which is the negative part of this item of business, and then the Minister would make his speech. Of course, I leave it to you to decide which way you like.

Mr. Deputy-Speaker: Both the motions have been moved already. If the hon. Member agrees, I can ask the hon. Minister to make his observations, after I place his motion before the House. The hon. Member can speak after the hon. Minister has spoken, on both the motions.

Shri Braj Raj Singh: While I abide by your desire, I may point out that the practice has been that the mover of the resolution gets priority. He moves the resolution, speaks on it, and then the Minister makes his speech.

Mr. Deputy-Speaker: It is his choice now. If he wants to get the benefit of the speech of the Minister and make certain comments on the

facts disclosed by the Minister, he may follow that procedure. If he does not want to do so, certainly I would ask him to speak.

Shri Braj Raj Singh: Let him speak then.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the regulation of production of sugar in the interests of the general public and for the levy and collection of a special excise duty on sugar produced by a factory in excess of the quota fixed for the purpose, be taken into consideration."

Both the motions are before the House, and the discussion will now begin. The hon. Minister.

Shri S. K. Patil: As I said, I will make some observations with the object of giving the general picture of the sugar situation in the country today. My hon. friend's motion wants that the ordinance that we have issued, instead of being enacted into a regular statute, should be repealed; *i.e.*, just the opposite of it. That is why I craved your indulgence. When the House knows the general picture, they would realise how very necessary it is that the ordinance has got to be enacted in the way we propose to do.

I do not go into the whole history of sugar in this country; it is a long history and it has come before the House time and again. If you remember, we had during five years imported in this country something like 14 lakhs of tons of sugar costing somewhere about Rs. 40 crores to Rs. 50 crores in foreign exchange. We had to do that, because sugar was in short-supply and without sugar certainly we could not have carried on. But a situation arose thereafter where we saw the prospect of making this country self-sufficient in sugar. So, in 1959-60 we gave certain incentives both to the farmers and to the mill-owners with the object that the sugar production in this country should rise.

The effect of it was, in figures, at the end of 1958-59 we had a carry-over of only 1·73 lakh tons, the shortest carry-over for many years; and, there was a danger that this was too small and difficulties would arise. Definitely difficulties would have arisen. Therefore, this incentive was given. The price of sugarcane was increased from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-10-0 and certain incentives were given to the mill-owners also. The combined result was that carry-over at the end of 1959-60 came to 5·95 or nearly 6 lakh tons of sugar. At the end of 1960-61, the year which we have just left behind, it came to 11·85 or nearly 12 lakh tons.

When we gave these incentives, I made it clear to the House time and again that the solution of the problem was that the per-acre yield of sugar must increase, and then there would be no danger. Yet, the farmer had to be protected. So, although there was opposition in many quarters that the price of sugarcane should not be increased, we increased it from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-10-0. But what actually happened was, instead of ½ million tons of sugar more that I really expected, as a result of these incentives, I got a windfall of somewhere about 5 lakh tons.

Many people would advance the argument that if this ordinance was promulgated before the sowing was done, possibly it would have been better. I would draw their attention to the fact that when the incentive was given, the sugarcane was sown and in spite of that we got 5 lakh tons. The only answer is not that the farmer worked hard or any such thing, but a lot of sugarcane that was going to gur was transferred to sugar. The figures will show that before the new sowings were made, a lot of

[Shri S. K. Patil]

sugarcane was transferred from gur to crystal sugar. That was very good and there was nothing wrong in that. But the result was that instead of ½ million tons, we got 5 lakh tons and this went on increasing. Now we have got somewhere about 12 lakh tons of sugar.

This really frightens me because sugar is not silver or gold which you can keep for 10 or 20 years and sell it at the proper time. It is a perishable article like wheat or any other grain. Therefore, there is limit to which you can conserve it, but that limit has gone. You cannot keep it for more than a year or two years.

So far as the world market in sugar is concerned, the House must realise that apart from the grains, if there is anything in abundance in the world for which there is no market, that is sugar. So, there will be increasing difficulties in every country about sugar. I can give you a general picture. The prices at which sugar is sold—not our sugar, but sugar anywhere in the world—are not the real prices, because the prices paid to the farmers even in Indonesia and Hawaii, countries where the per-acre yield is highest, are more than the prices at which they are sold in the international market. It is not a phenomenon peculiar to this country alone. In foreign countries also, the prices given to the farmer are support prices; he has to be induced to produce more. So, if anybody thinks that by any effort, sugar can be sold in the world market, that is an impossible proposition, because there is enough sugar in the world market and there is no market at all.

The question is very difficult now. If sugar is to be made marketable, its price has to be decreased. In the first place, there is no market. Assuming there is a limited market, the price cannot be reduced unless we really undo what we have done, viz., to reduce the price of cane and so on, which this House does not want and which I do not propose to do. I have given the promise that the farmers will be protected. What do we do about these 12 lakh tons that have gathered? We tried to get some favourable market. One market was the United States, because they gave about 50 to 60 per cent more than the world market price. They did not do it as a kind thing to India, but because they wanted to protect their own farmers, so that their prices may not be depressed. Otherwise, the price in America would be depressed. But luckily those prices are 50 to 60 per cent more than the international price. I had to go myself to plead the case and with all that, the utmost we could do was that the United States promised to buy 225,000 short tons of sugar. In terms of long tons, to which we are accustomed, it comes to about 187 lakh tons.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): Why did they change their mind?

Shri S. K. Patil: I will come to that. 1·87 lakh long tons of sugar worth nearly 25 million dollars was the utmost they could take. There was no other way, because there were any number of countries prepared to sell sugar at prices even cheaper than ourselves. Also, outside the international sugar agreement quota, it could not be much more than 100,000 tons or so. Therefore, our selling sugar to other countries was really very much limited indeed, as there was no scope for that.

My friend asked why they changed their mind, because after that they reduced the quota by about 50,000 short tons or about 40,000 long tons. In a free economy, this is a phenomenon which has got to be understood

by everybody. If the internal prices slump, the only way to raise the price is to withdraw a certain part of that commodity outside the market, so that the prices start moving up. The prices had slumped in the United States, with the result that not only they were suffering, but everybody who was supplying sugar to the United States was suffering. We lost somewhere about Rs. 2 crores as a result of the slump. Unilaterally they took that action not only in regard to India but in regard to several countries, from where they imported sugar like Brazil, Taiwan, etc. Therefore, they reduced the quota.

That would have really inflicted a hardship on us, but luckily that was not so, because our shipments had already started and other shipments that were to begin were slightly delayed. When they reach there after 1st January next, they can be adjusted against the quota of next year. I had a talk with the Food Secretary at Rome. When I attended the F.A.O. Conference I luckily met him there. He was himself surprised because it happened. He was not in America at that time. He told me that he was very much ashamed and sorry for what happened, that after all the hospitality that he received here one day he heard that the quota was reduced. He felt sorry for it. He said that it should not have happened, and he promised that surely he would do everything in his power to see that it was adjusted against the next year's quota. After all, they have also a democracy as we have a democracy here. They are also bound by rules. They have also the Parliament and the Congress. So far as the Food Secretary, Mr. Freeman is concerned, he has given me a friendly promise that whatever he has promised shall be redeemed. Therefore, there is no difficulty as far as the 50,000 tons quota is concerned.

But that is only a small thing. What I am telling you is this, that so far as the export market of sugar is concerned it is very much limited. It is going to be still more difficult in the future because everybody is producing sugar. Even America which produces somewhere about five million tons of sugar can produce the ten million tons which they require if they want to in a year's time. It is not a very difficult thing. The same is the case with other countries. Therefore, we must depend upon internal consumption. But there is a limit for internal consumption also to increase.

As this House knows, along with this Ordinance we liberalised the distribution of sugar. We liberalised it in a big way. There is absolutely no check. Anybody who wants sugar can get it for his mere asking. If there is really any tension anywhere so far as sugar is concerned, I am prepared to give this promise to every hon. Member here that if anybody wants sugar even to individuals we can give hundreds of tons wherever they want it. But the House must realise, and everybody knows it, that sugar is not a kind of thing which one can go on eating without any dangerous effect on one's health. Therefore, there is a limit even to internal consumption, because one cannot go on eating sugar. In spite of the liberalisation, during the last six weeks what we have been able to really circulate is only 50,000 tons, and if in the whole year we can circulate somewhere about three lakh tons more, we would have achieved our point. More than that we cannot expect, because if you create an artificial demand among the people, in the first place it is bad for the health of the people and, in the second place, that artificiality will have to be maintained and we will have to release more sugar and more sugar which is not a really health sign.

But there is another thing which is really bad indeed and to which I must draw the pointed attention of this House. The farmer, knowing that

[Shri S. K. Patil]

there is more money in sugar—our farmer is a very shrewd man—turned his attention to producing more sugar for all time. In the whole world, it there is one crop that gives the maximum return, whether it is in the United States, Cuba, Indonesia, Taiwan or India, it is sugar. Sugar is the highest; it might compare as 1:2 or 1:3 so far as wheat and rice are concerned. Therefore, whenever the farmer gets an opportunity of producing more sugarcane he will always go in for it. Therefore, what the farmer did in India was, when he got the incentive, he did not at all think of increasing the per acre yield of sugarcane—the per acre sugarcane yield has not gone up in any appreciable manner—he went on increasing the acreage under sugarcane, which is the most dangerous thing to happen in this country or in any country. When a commodity is already in excess in the world and we have no law, no regulation anywhere as in other countries, and neither the Central Government nor the State Governments have any power to check and lay down as to how much acreage a farmer can bring under a particular cultivation, to increase the acreage under that particular commodity is a very dangerous thing. I am pleading for such a law not only for sugar but for other things also. We have come to an agricultural economy where we have to think of having some kind of adjustment by law. It has become absolutely necessary to regulate the acreage under different commodities. Here, when the farmer got an opportunity he went on increasing the acreage to such an extent that during the last two years the new area that has gone under sugarcane cultivation is nearly one milion acres. This has created a new problem. In 1958-59 the acreage was 48·03 lakhs and in 1961 it is 57·34 lakhs. Therefore, the actual increase in acreage is 9,34,000. This means, the House would realise, one million tons of sugar more because the acreage has increased, and the acreage has increased at the cost of wheat, at the cost of rice, at the cost of cotton and other coarser grains. That means where we are in short supply—we want more grains and cotton—the farmer did not produce more and instead of doing that he went on producing more sugarcane because he got more money in it.

Therefore, all these difficulties that we are experiencing today are not difficulties created because of our giving the incentive, they are not difficulties because there is no market outside or inside, but they are difficulties because the farmer did not stick to the acreage that was there notwithstanding the warning that was given to him. In the absence of any regulation or law under which the State Governments should really regulate the acreage this thing happened. The problem has, therefore, become alarming and enormous today. If the farmer has to be kept alive, if the sugar industry has to be kept not only alive but prosperous in a condition in which it will prosper, then something has got to be done so that the additional acreage that has come under sugarcane must go back and efforts must be made to have an increase in the yield per acre whereby the deleterious effect which has come about will not be there. That is exactly why the time came for an ordinance to be promulgated.

Had the ordinance not been promulgated, Mr. Deputy-Speaker, the position would have been this. One year we had five lakh tons more, in the next year we got six lakh tons more and this year, if this had not been done, we would have perhaps got 35 lakh tons of sugar and from a stock of 12 lakh tons we would have gone to somewhere about two million tons of unsaleable stock of sugar in this country. If nothing is done, if no steps are taken, then by and by possibly

there would be no wheat and rice in this country and everybody would go in for sugarcane. Therefore, some kind of regulation or check was absolutely necessary in the best interests of the farmer himself and also in the national interest, so that the second largest interest in the country could not only be preserved but preserved in a very sound condition. That is why this ordinance was promulgated.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): In which of the States the increase in acreage was the greatest?

Shri S. K. Patil: My hon. friend wants to know in which of the States the increase was there. Really speaking, every State is more or less responsible. But nearly six lakh acres—5½ lakh acres to be exact—increase was there in Uttar Pradesh alone. In Bihar it is somewhere about 50,000 acres, in Punjab it is somewhere about 1,00,000 acres, in Maharashtra it is somewhere about 50,000 acres and so on. But, as you will see, nearly two-third of the acreage increase is in a State where the per acre yield is the lowest, and that is Uttar Pradesh. There the per acre yield is somewhere about 12 to 14 tons as against 50 tons in Maharashtra or Madras or any other southern State which is really the belt for sugarcane cultivation.

I am not merely finding fault with the farmer. I cannot blame the farmer because the farmer as a shrewd man switches over to the commodity where he gets more money because he is poor. If there is more money in sugarcane cultivation he will change over to sugarcane cultivation. There is nothing to stop him from doing so, nor have I or the Agricultural ministries in the States any power to do that. Therefore, they went on increasing the acreage. I had to stop this. If I had not done that, as I said, there would have been anything from 33 to 35 lakhs tons this year and while our consumption would not have gone beyond 24 lakh tons about 10 to 11 lakh tons would have been added to the 12 lakh tons of sugar stock which we already had. We would have then been chocked up with a sugar stock of 23 lakh tons not knowing where to sell it.

So far as money is concerned, when sugar is produced money has to be given, and quite a large part of the money is to be paid to the farmer. As soon as sugarcane is given to the mills the farmer has to be paid. If the farmers are not paid then there are their representatives here who will ask the Minister as to whether the Minister is aware that the sugarcane charges have not been paid etc.

It is very necessary because they are poor people and they have got to be paid. Where have they got to be paid from? The sugar mills have not got any money because all the sugar that they produce is lying in stock. If the stock increases, from where have they, even the wealthiest of them, got to have the money? Therefore the services of the State Bank were pressed for this purpose so that they could give more and more money to sugar.

The House will be interested to know that some months back, I think last year, as much as Rs. 94 crores of the State Bank were locked up in sugar alone. If this process had continued and this particular Ordinance was not promulgated, the result really would have been that this Rs. 94 crores would have gone up at least to Rs. 150 crores or Rs. 160 crores on one single commodity, that is, sugar which is an impossible proposition. Our agricultural economy must not be made to suffer by our having necessarily to put Rs. 150 crores almost permanently locked up because the sugar is in the godowns.

Besides, there were no godowns also. All these difficulties arose and something had to be done. What was done was that we took the power in our hand to say as to how much sugar could be produced so that we can regulate it in a manner and ultimately

[Shri S. K. Patil]

it will be helpful to the farmer and to the State.

Sometimes hon. Members quote the figure of 10 per cent and say that that will be the cut and therefore this would mean that so much sugarcane would be standing on the farms. That is not what is happening exactly. Even during the first year when we got more sugar, it was not out of the new sowing that they had done it. It was the sugarcane transferred from gur to sugar.

I would tell you roughly what the percentage of gur and sugar is that this country has been producing over many, many years. The percentage generally was somewhere about 27 per cent. Only 27 per cent of the entire sugarcane went towards the production of crystal or refined sugar. That leaves a balance of 73 per cent. About 15 per cent went for seedlings and for chewing and other things that hon. Members and other people in this country want. The remaining 52 per cent really went towards the production of gur. The problem of *khandsari* is a limited problem because it is restricted to U.P. only. Therefore I am not mentioning particularly *khandsari*. You can therefore see that only 27 per cent of the sugarcane went towards the production of crystal sugar whereas 50 to 52 per cent went towards the production of gur.

But what happened during the last two or three years? Because there was money in it, a lot of the sugarcane for gur was transferred to the crystal sugar side and the 27 per cent has come to 40 per cent today. 40 per cent of the sugarcane has gone towards the production of crystal sugar. To that extent sugarcane that was going towards the production of gur has actually gone down. What we are expecting is that if this 12 per cent rise which is really more than 35 per cent rise of that percentage goes back to gur, that problem will not remain. Even then we have provided for exceptions and this cut that I am really asking for ultimately remains not 10 per cent but only 4 per cent.

An Hon. Member: How?

Shri S. K. Patil: Because we have given exceptions. Under the rules this hardship could be minimised. We have factories for which final quotas have been fixed. They are nearly 71. That quota has been 12 lakh tons. I will not give these figures because hon. Members would not understand them in the absence of knowing all the quotas given to them. But what I am telling is that factories for which provisional quotas have been fixed and factories for which no quotas have been fixed do not come under them. Factories producing less than 11,000 tons do not come under them. New factories which were not there last year do not come under them. If you go on calculating all these exceptions, ultimately according to the figures to which we have come, our production would be somewhere about 30·23 lakh tons. It will not be less than last year's; perhaps it may be a little more than last year's. The actual reduction comes to not more than 4 per cent, although it is 10 per cent generally. But barring these exceptions that I have given it comes to somewhere about 4 per cent. 30·23 lakh tons was last year's production and 29 lakh tons is this year's production. That makes a reduction of 4 per cent.

The only question that arises is this. What happens, after all the sugarcane that is converted into gur and also crystal sugar, if anything remains? There are some factories where possibly it cannot happen. I have given a promise. It is not a promise. It is commonsense that if there is danger that sugarcane cannot go to crystal sugar and also cannot go to gur and the sugarcane has got to be simply destroyed, then, surely you can be rest

assured that the Government of India and the State Governments would be very watchful about it and they would see that something could be done so that that tendency could be avoided. I have to apply this electric shock for the simple reason that before the next sowing came, unless the farmer knew that this is the dangerous state to which he has come by increasing the acreage, he would not stop the acreage. The acreage will increase. If I merely say, I shut my eyes and take the consequences this year, is there any Member who can tell me that instead of 35 lakh tons this year, the next year it would not have been 4 million tons? It will go on increasing until there is some kind of a limitation. Therefore, really speaking, the hardship of it does not become operative in this year due to the exceptions that have been given

The whole point is this; in a nutshell I shall put it. I have got to take the lesser evil of the two evils. Here is an evil that we have 12 lakh tons of sugar in stock. There is no market in which we can sell it. Even the limited market that was there has been exhausted. The other market would mean that for every lakh ton of sugar sold in the international market means a loss of Rs. 3 crores. The loss of Rs. 3 crores ultimately will have to be passed on to the consumer, so that, for the folly of creating more sugar, the consumer has got to suffer by paying more. There is a hue and cry in this House and everywhere in the country that in spite of all this sugar, the sugar prices have not gone down. They cannot go down below Rs. 40 for the simple reason that we have given so much money for this, so much money for that. It is all limited. The Tariff Commission has sat upon it and they have fixed the price. The only way was the reduction of sugarcane acreage. If this is an evil, that is a greater evil. That way the farmer will be punished. Therefore, I take the lesser evil in telling the farmer, look here, if you only restricted yourself to the acreage that you had got, you would not have come to this danger: for God's sake, go back to that position; so long as you do not go to that position, whatever excess is there today, I shall be tolerant and I shall be sympathetic and I shall do everything in my power to see that you are not unduly punished. If, in the meanwhile, the consumers begin to take sugar in a large way, if instead of 3 lakh tons, 5 lakh tons go to the internal consumption, there will be no need for any reduction. Even the 4 per cent reduction may not be necessary. It is too early to imagine just now as to what would happen. Let the season develop. When it is developing, ultimately we shall see. If any danger comes out of it, there will be time enough to consider that. Unless this was done, the whole sugar economy was in danger. When we are trying to resuscitate the entire agricultural economy and make it self-sustaining and self-generating and standing on its own legs, that time must not be chosen to do anything rash or foolhardy if, as a result of it, the farmer and the nation would suffer. That was why this Ordinance was promulgated. Now that the House has time, the attempt is to have the Ordinance made into a regular enactment.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Braj Raj Singh: will he conclude in fifteen minutes?

Shri Braj Raj Singh: Half an hour; he has taken half an hour.

Mr. Deputy-Speaker: Twenty minutes would do.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): There is not much business tomorrow

Shri Braj Raj Singh: I shall try.

उपाध्यक्ष महोदय, अपना प्रस्ताव पेश करने के बाद श्री पाटिल के बिल पर मैं ने

[श्री ब्रजराज सिंह]

उनका बहुत प्रभावशाली भाषण——जैसा मेरे मित्र श्री डी० सी० शर्मा कहेंगे——सुना । और उसको सुनने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि वह केवल एक वक्तृता मात्र है और उसके अन्दर कोई तत्व नहीं है ।

८ सितम्बर को लोक सभा का पिछला अधिवेशन समाप्त हुआ था और २९ सितम्बर को श्री पाटिल और उनके मंत्रालय को यह बुद्धि पैदा हुई कि उन्हें एक आर्डिनेन्स पास करना है । अगर उससे पहले उनको यह बुद्धि पैदा हो गयी होती तो शायद ८ सितम्बर से पहले इस कानून को सदन के सामने लाया जा सकता था और सदन के सामने सारी स्थिति को पेश किया जा सकता था । तो मेरी सबसे पहली आपत्ति इस आर्डिनेन्स के बारे में है कि हमारी भारत सरकार बार बार आर्डिनेन्स पास करके राज्य करना चाहती है, सदन में बिल ला कर, उसको पास करा के और सदन की राय लेकर राज्य नहीं करना चाहती । तो मेरा निवेदन है कि अगर इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता भी थी तो इसको पिछले अधिवेशन में बिल के रूप में सदन के सामने लाया जा सकता था और सदन और मुल्क की राय ले कर पास किया जा सकता था । इसमें कोई परेशानी नहीं थी । लेकिन असल में दिक्कत क्या है ? दिक्कत असल में यह है कि पिछले १२ साल से हिन्दुस्तान की सरकार की चीनी नीति अत्यन्त गड़बड़ रही है । चाहे तो श्री किदवई साहब मंत्री रहे हों, या चाहे उनके बाद श्री अजित प्रसाद जैन मंत्री रहे हों या उनके श्री एस० के० पाटिल मंत्री रहे हों, इस चीनी नीति में मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

16 hrs.

एक बात यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे यहां बहुत चीनी है । दूसरी तरफ किन्हीं लोगों को अधिक मुनाफा देने के लिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे यहां चीनी नहीं है और अब फिर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहां चीनी बहुत हो गई है और उसकी खपत और उपयोग नहीं है इसलिए उसका उत्पादन सीमित करना है और उसके वास्ते आर्डिनेन्स की जरूरत पड़ती है । अब असल स्थिति यह है कि यह बातें कभी सही नहीं रही हैं । न तो आज चीनी इतनी मुल्क में मौजूद है और न ही उत्पादन् इतना अधिक हो गया है कि हम उसको प्रयोग न कर सकें खपा न सकें । जैसा कि अभी मंत्री महोदय द्वारा यह बतलाने का प्रयत्न किया गया कि चीनी का उत्पादन् बेहद हो गया है और चूंकि उसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए मुल्क में चीनी की अधिकता को लेकर एक संकट उपस्थित हो गया है, सो ऐसी बात नहीं है । इसके साथ ही मैं तो यह भी कहूंगा कि जिस वक्त यह कहा जाता था कि चीनी का भयंकर अकाल है, देश में चीनी की कमी हो गई है और हमें विदेशों से काफी मात्रा में चीनी लानी चाहिए तब भी दरअसल वैसी स्थिति नहीं थी । मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि कांग्रेस सरकार के पिछले १२–१३ साल के शासन के दौरान चीनी नीति में हमेशा गड़बड़ घुटाला हुआ है और खास वर्गों को मुनाफा देने के लिए यह चीनी नीति बनाई जाती रही है । यह आर्डिनेन्स पास करते वक्त भी दरअसल उसके पीछे सिर्फ यह उद्देश्य नहीं है जैसा कि खाद्य मंत्री महोदय ने बतलाया कि वह गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं बल्कि और अन्य उद्देश्य भी उसके पीछे आ जाते हैं और यदि इस चीनी की समस्या का अध्ययन किया जाय तो यह चीज स्पष्ट हो जायगी ।

आज यह पता लगता है कि चीनी का

उत्पादन् इतना अधिक होने जा रहा है जिसका कि मुल्क में खपत नहीं होगी और दूसरे देशों में हम इसका निर्यात नहीं कर सकते हैं। एक बात बड़े जोर शोर के साथ कही गई है कि हमारे मुल्क में खपत और बढ़ ही नहीं सकती है। चीनी के वितरण की व्यवस्था हमने ढीली कर दी है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो भी खपत नहीं बढ़ रही है। अब इसका कारण केवल यही नहीं है कि वितरण की व्यवस्था ढीली कर दी है और उससे खपत नहीं बढ़ रही है। खपत इसलिए नहीं बढ़ रही है कि एक मन चीनी जब वह उपभोक्ता तक पहुंचती है तो वह काफी मंहगे भाव पर उसको सुलभ होती है क्योंकि चीनी पर केन्द्र की और सूबों की सरकारें कुल मिला कर १३ रुपये ५ आने मन के हिसाब से टैक्स वसूल करती हैं। बार बार यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ने के उत्पादक को चीनी का मूल्य मिलता है लेकिन आप अपनी तरफ देखते हैं या नहीं कि आप कितना टैक्स वसूल कर रहे हैं? एक मन चीनी पर केन्द्र और प्रांतों की सरकारें कुल मिला कर १३ रुपये ५ आने मन् टैक्स वसूल करती हैं और उसके बाद आप यह आशा करते हैं कि मुल्क में चीनी की खपत बढ़ेगी? अब हमारे मुल्क के आम लोगों की एकोनामिक पोजीशन ऐसी है कि वह ज्यादा चीनी खरीद नहीं सकते। उन के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसलिए यह आशा करना कि चीनी की खपत जो उसका टैक्स स्ट्रक्चर है उसको बदले बगैर बढ़ सके व्यर्थ है।

स्थिति तो यह है कि आप चीनी पर इतना टैक्स वसूल करते हैं, अन्दरुनी खपत जो होती है उस पर इतना टैक्स लगाते हैं। अभी जैसा कि खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया कि एक लाख टन चीनी पर देश के उपभोक्ता को ३ करोड़ रुपया बतौर टैक्स के देना पड़ता है और जिससे कि उसकी जो अपनी खपत होती है उसमें कीमत बढ़ा कर उसे देना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी स्थिति कोई एक दिन में पैदा नहीं हो गई न ही यह कोई एक महीने, एक सीजन और एक वर्ष में पैदा हो गई है कि जिसके कारण आपकी सहायता की जरूरत पड़ रही है। इस सारी स्थिति पर खाद्य मंत्रालय निगाह रक्खे हुए हैं और उसकी छानबीन करता है कि किस तरीके से चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। मेरे पास भी उस सम्बन्ध में आंकड़े हैं। अभी खाद्य मंत्री महोदय ने बतलाया कि चीनी का उत्पादन पिछले २, ३ साल से खास तौर से २ साल से काफी बढ़ रहा था और जितना हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य रक्खा था उससे अधिक हम पैदा कर चुके थे जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक साल बाकी रह गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते हम उस लक्ष्य तक पहुंच चुके थे जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के अन्त में रक्खा था। जब ऐसी स्थिति थी तो क्यों नहीं पहले से इसके बारे में सोचा गया? अब खाद्य मंत्री महोदय ने इसके लिए कहा कि मेरी यह दलील होगी कि जब गन्ने की बुवाई का सीजन था उस वक्त इसको करना चाहिए था। उचित तो यह था कि खाद्य मंत्री स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार करते वैसे मैं जानता हूं कि खाद्य मंत्री महोदय इस बात को भली भांति जानते हैं कि वह गन्ना उत्पादकों को कितनी हानि पहुंचाने जा रहे हैं। बुवाई सीजन पर नहीं हुआ उसकी दलील उनकी ओर से यह दी जाती है कि पहले भी जब हमने चीनी के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया तब भी गुड़ से बढ़ कर चीनी में आ गया था अब फिर चीनी से बढ़ कर गुड़ में चला जायगा। मैं समझता हूं कि यह पूरी तौर से सही नहीं है इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन जब हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था में आप हर एक को मुनाफा देना चाहते हैं,

[श्री ब्रज राज सिंह]

जब आप चाहते हैं कि उत्पादकों को अधिक से अधिक पैसा मिले तो फिर २७ फीसदी से बढ़ कर अगर ४० फीसदी गन्ना क्रिस्टल शुगर में प्रयुक्त होता है तो उस पर आप को क्यों आपत्ति है। देश के किसानों को कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है तो उस पर आपको आपत्ति क्यों है। इसमें तो आपको खुशी ही होनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार कहती तो है कि वह देश के किसानों के लिए काम करती हैं लेकिन जब भी काम करती है तब इस तरीके से काम करती है जिसमें हिन्दुस्तान के किसानों की हानि ही होती है। यह आर्डिनेंस उस का सब से बड़ा ज्वलन्त उदाहरण है जिसमें किसानों की जरूरतों का कतई ध्यान न रखते हुए इस आर्डिनेंस को पास कर दिया गया। सरकार ने यह नहीं सोचा कि इसके पास करने से गन्ना उत्पादकों को कितनी हानि होगी।

पिछली पार्लियामेंट का सेशन बंद हुए सिर्फ २० दिन हुए थे। ८, ९ सितम्बर को पार्लियामेंट बंद हुई २९ अगस्त तक यह मंत्रालय सोचता रहता है कि क्या करना है और तब आप आर्डिनेंस पास कर देते हैं। आप उस वक्त आर्डिनेंस पास करते हैं जब बुवाई हो चुकी है और गन्ना खेत में बोया जा चुका है और जब किसान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वह भीख मांगता फिरे कि हमारा गन्ना पेरने के लिए लिया जाय वरना हमें गुड़ बनाना पड़ेगा या हमें उसको जलाना पड़ेगा। मैं अपने खाद्य मंत्री महोदय से बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जिसके कि लिए बार बार मंत्री महोदय इस तरह की दलील दे देते हैं कि वहां पर एकड़ ईल्ड ज्यादा नहीं है या वहां पर गन्ने से ज्यादा चीनी नहीं निकलती है, उस उत्तर प्रदेश और बिहार में आज जो हिन्दुस्तान के सब से बड़े गन्ने के उत्पादक हैं वहां पर स्थिति यह आ गई है कि सम्भवत: कुछ गन्ना किसानों को जलाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय इस प्रकार एक का एक निश्चित आश्वासन दें कि चाहे जो भी हो किसी भी किसान को अपने गन्ने के एक पेड़ को भी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज मंत्री महोदय की तरफ से इस तरह का एक निश्चित आश्वासन दिये जाने की जरूरत है यदि वह चाहते हैं कि गन्ने के उत्पादकों को कोई हानि न हो। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो नीति चलाई हुई है वह गलत नीति थी। आप पहले से इस स्थिति को देख सकते थे और पहले से ही कोई रेगुलेशन करके इस तरीके की कोई सीमा बांध सकते थे। यह भी अजीब बात है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुल्क में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है और जब यह स्थिति आती है कि आपके हाथ पैर हिलाये बगैर चीनी का उत्पादन बढ़ जाता है तब आप उसकी डिसकरेज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने में हिन्दुस्तान की सरकार ने कोई विशेष हाथ पैर हिलाये हों। दूसरी जगहों पर सरकारों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसैंटिव दिये जाते हैं लेकिन यहां इंसैंटिव देना तो दूर रहा उनको और डिसकरेज किया जाता है। अब हिन्दुस्तान के गन्ना उत्पादकों की मांग रही है कि उसे दो रुपये मन गन्ने का दाम मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं दिया गया लेकिन उसके बाद भी किसानों ने यह करिश्मा कर दिखाया और उसकी पैदावार बढ़ाई। उन्होंने दिखला दिया कि चीनी का उत्पादन बावजूद पंचवर्षीय योजनाओं की कमियों के किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमें कहा जा रहा है कि गन्ने का उत्पादन कम किया जाय, चीनी का उत्पादन कम किया जाय और अगर इसका उत्पादन इसी तरीके बढ़ता चला जायगा तो

हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा जिससे कि हम चीनी का उपभोग कर सकें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह दलील भी गलत है।

इस साल कहा जाता है कि तीस लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति जो चीनी की खपत है वह दुनिया के अन्य मुल्कों से कम है। ३२ पौंड के करीब हमारे यहां मुल्क में चीनी की खपत है जब कि उन मुल्कों में जो कि हम से आगे हैं उनमें इससे कहीं अधिक खपत है। इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति १०७ पौंड की खपत है। अमेरिका में ९५ पौंड प्रति व्यक्ति खपत है जब कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति केवल ३२ पौंड ही है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने चीनी को देश के अंदर की खपत को बढ़ाने का समुचित प्रयत्न किया होता तो यह खपत ३२ पौंड से बढ़ कर ४० पौंड हो गई होती। खाद्य मंत्री महोदय का यह कहना कि ज्यादा चीनी खाने से देशवासियों का स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा दुरुस्त नहीं है क्योंकि क्या दरअसल में हम स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में आ गये हैं? क्या हमारे खाद्य मंत्री महोदय यह कहने के लिए तैयार हैं कि यहां भारत में प्रति व्यक्ति उतनी चीनी खा रहा है जितनी चीनीकि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि उतनी चीनी यहां पर प्रति व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जो कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है लेकिन बात यह है कि खाद्य मंत्री महोदय की ओर से गलत नीतियों का समर्थन करने के लिए गलत दलीलें दी गई हैं। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमारे पास इतनी चीनी है कि जिस को खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम खपत को सवाया कर दें, तो फिर उत्पादन को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। खाद्य मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों गन्ने को जो एकड़ेज बढ़ी है, वह बहुत बुरे तरीके से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में ही छः लाख एकड़ ज़मीन बढ़ी है, लेकिन सितम्बर, १९६१ के इंडियन शूगर में बताया गया है कि १९५९–६० में ५२, २० हज़ार एकड़ ज़मीन में और १९६०–६१ में ५७,३४ हज़ार एकड़ ज़मीन में गन्ना बोया गया, जिस का मतलब यह है कि केवल पांच लाख एकड़ अधिक ज़मीन में गन्ना बोया गया। इस लिए मैं नहीं समझता कि १ लाख एकड़ बिहार में और साढ़े पांच लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया।

Shri S. K. Patil: I did not say that. I said it is 50,000, in Bihar 1,50,000 in Punjab and 5½ lakhs in U.P.

Shri Braj Raj Singh: That means more than 7 lakhs. These figures say only 5 lakhs have increased.

Shri S. K. Patil: Where does my hon. friend get these figures from? The figures are correct; about 5½ lakhs in U.P., 50,000 or roundabout—in round figures I gave—in Bihar and 1,50,000 in Punjab. Maharashtra and others put together it is 9,30,000. These are the accurate figures.

श्री ब्रजराज सिंह: मैं ये फ़िगर्ज़ सितम्बर, १९६१ के इंडियन शूगर से दे रहा हूं। इस में पूरे हिन्दुस्तान की फ़िगर्ज़ दी हुई हैं। जो भी हो, माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि ९ लाख एकड़ बढ़ा, लेकिन ये फ़िगर्ज़ साबित करते हैं कि एकड़ेज पांच लाख से ज्यादा नहीं बढ़ा।

Shri S. K. Patil: It must be one year before. I have quoted the latest figures. The hon. Member's figures were of last year. It is increasing year by year. At first it was 5 lakhs and when it was not restricted it went up to 9,50,000 and if it had not been restricted it would be 15 lakhs next year.

श्री ब्रजराज सिंह: अगर यह माना जाय कि पिछले साल ५७ लाख एकड़ और इस

[श्री ब्रजराज सिंह]

साल ५६ लाख एकड़ थी, तो दो लाख एकड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा है ।

दूसरी तरफ़ सरकार की ओर से कहा जाता है कि वह सारे हिन्दुस्तान में कल्टीवेबल लैंड को बढ़ाने जा रही है । तो फिर क्या उस के अनुपात से शूगरकेन का एकड़ेज बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है ? इस के अलावा सवाल यह है कि क्या इस विषय में कोई दूसरे कदम नहीं उठाये जा सकते हैं । सरकार ने आर्डिनेंस ऐसे वक्त पास किया, जब निश्चित रूप से किसान का नुक्सान होगा । एक दिन में यह बात घटित हो गई थी, ऐसी बात नहीं है । जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, पिछले दो तीन साल से यह प्रवृत्ति चल रही है और उत्पादन जिस शक्ल में बढ़ रहा है, उस शक्ल में खपत नहीं बढ़ रही है । अगर गन्ने की एकड़ेज बढ़ रही है, तो उस पर पहले से कंट्रोल किया जाना चाहिए था, उस को नियमित किया जाना चाहिए था, बजाये इस के कि बुवाई के वक्त कानून बनाया जाता । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गन्ने की बुवाई गेहूं, जौ, बाजरे और जवार आदि की तरह नहीं होती है । एक वक्त की बुवाई का तीन साल तक असर पड़ता है । इस साल जो बुवाई हो चुकी है, जिस की पूरी फ़सल को सरकार चीनी बनाने के लिए तैयार नहीं है और कानून बना कर रोक रही है कि किसान उस गन्ने को चीनी मिलों को न दे सके, उस का प्रभाव अगले तीन साल तक पड़ेगा ।

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, सरकार दस प्रतिशत प्रोडक्शन कम करने जा रही है, हालांकि फ़िलहाल चार फ़ीसदी कम करने का विचार है, जिस का अर्थ यह है कि एक लाख टन का फ़र्क पड़ेगा । इस अवस्था में हिन्दुस्तान के किसानों पर पूरा प्रभाव कितना पड़ेगा, यह देखना है । इस के अतिरिक्त जो प्रोडक्शन में दस फ़ीसदी कट करने जा रहे हैं, वह किस नियम के आधार पर किया जा रहा है ? मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाये, ऐसे उसूल निश्चित करे, जिस से हर एक उत्पादक पर एक सा भार पड़े । जो वर्तमान व्यवस्था है, उस के अधीन कुछ लोगों पर कम भार पड़ेगा और कुछ पर अधिक, जिस का अर्थ यह है कि कुछ उत्पादकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा, जो उचित नहीं है । इस आर्डिनेंस को जारी किये बिना इस को पहले ही कानून बना कर सरकार कुछ राहत दे सकती थी, लेकिन उस ने ऐसा नहीं किया ।

जब भी चीनी के उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न आता है, तो खाद्य मंत्री के, जिन के बारे में यह आशा की जा सकती थी कि वह किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसानों के सब से बड़े दुश्मन हो सकते हैं (Interruptions) उन के लिए यह कहना जरूरी है । इस के बिना यह पार्टी नहीं चल सकती है । खाद्य मंत्री को सदा यह देखना चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है । चीनी के सम्बन्ध में हमेशा यह कहा जाता है कि गन्ने की कीमत अधिक है और इस लिए हम उस में कुछ नहीं कर सकते हैं, गन्ने की कीमत को कम करना पड़ेगा । पिछले कुछ दिनों से उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि वह गन्ने की कीमत को कम नहीं करना चाहते हैं। जिस का कारण शायद यह है कि चुनाव में ढाई तीन महीने रह गये हैं और उस अवधि में सरकार की ओर से जो नीति अपनाई जायगी, उस का काफी असर पड़ सकता है । हो सकता है कि खाद्य मंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किसान उन को वहां पर बिठाने से इन्कार कर दें । दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी इस देश के किसानों में

इतनी जागृति नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन में वह जागृति जल्दी आये। चूंकि इस वक्त मंत्री महोदय का आंख चुनाव की ओर लगी हुई है, इस लिए इस समय तो यह कहना जरूरी है कि वह गन्ने की कीमत को कम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में वह कहते हैं कि गन्ने की यील्ड बढ़ानी चाहिए और दक्षिण भारत में कहते हैं कि वह वास्तव में देश की शुगर बैल्ट है, वहां गन्ने की खेती बढ़ानी चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने, और उस के प्रोत्साहन पर प्रान्तीय सरकारों ने उन प्रदेशों में, जहां गन्ना पैदा होता है, इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं, जिस से गन्ने की यील्ड बढ़ सके, उस का शुगर कन्टेन्ट बढ़ सके। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस का परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में एक वीशस सर्कल, एक चक्रव्यूह सा बन गया है कि अगर यील्ड नहीं बढ़ती है, तो कीमत नहीं बढ़ सकती और अगर कीमत न बढ़ाई गई, तो यील्ड नहीं बढ़ेगी और इस के लिए खाद्य मंत्री किसानों को ही दोषी ठहरायेंगे।

मैं समझता हूं कि जब चुनाव हो चुकेंगे और खाद्य मंत्री को यह गद्दी मिल जायगी, तो यह देख कर कि पांच साल तक वह यहां रहें, वह कहेंगे कि एक रुपया बारह आने नहीं, एक रुपया आठ नौ आने देते हैं। मैं देख सकता हूं कि भविष्य में खाद्य मंत्री क्या करने वाले हैं। इस सरकार की सारी नीति इस तरह की है, जिस से गन्ने के उत्पादकों की हानि हो रही है, उस के हितों की कुर्बानी दी जा रही है। सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि क्या इस बारे में कोई दूसरी नीति नहीं अपनाई जा सकती है, जिस से चीनी की खपत बढ़ाई जा सके, विदेशों में ज्यादा निर्यात किया जा सके। अगर कोई ऐसी नीति अपनाई जा सकती है, तो सब से पहले उधर ध्यान दिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसे कदम उठाये जा सकते हैं, जिस से हिन्दुस्तान में चीनी की खपत ज्यादा हो। जिस प्रकार सारे टैक्स माफ़ कर के कम कीमत पर विदेशों में चीनी भेजी जा रही है, वैसे ही अगर यहां पर भी टैक्स कम कर दिये जायें, तो पच्चीस नहीं तो बीस फ़ीसदी खपत बढ़ाई जा सकती है। आज कनज्यूमर को चीनी एक रुपया सेर मिलती है। अगर उस को बारह, तेरह या चौदह आने सेर मिलने लगे, तो यहां पर खपत पचास फीसदी बढ़ जायगी। आज चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या का हल यह है कि हमें मुल्क के अन्दर की खपत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के विकास के लिए हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा पैदा करें। वह हमारी पंच वर्षीय योजनाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में चीनी के द्वारा विशेष रूप से विदेशी मुद्रा पैदा नहीं की जा सकती है। हालांकि हम अमरीका से मशीनों और दूसरा सामान खरीद रहे हैं और अपने ऊपर कर्ज का बोझ लाद रहे हैं, लेकिन ढाई लाख टन चीनी बेचने के लिए, जिस में से पचास हजार टन का क्वोटा कम कर दिया गया, हमारे खाद्य मंत्री को व्यापारी बन कर वहां जाना पड़ता है। आज समय नहीं है कि हम हिन्दुस्तान की विदेशी-नीति के विषय में चर्चा करें, लेकिन ये बातें ऐसी हैं, जो बरबस हमारा ध्यान विदेश-नीति की ओर खींच लेती हैं। हमारी विदेश-नीति ऐसी है कि न सिर्फ़ सामान लेने के लिए, बल्कि अपना सामान बेचने के लिए भी हम को भिखारी की तरह विदेशों में जाना पड़ता है। इन सारी नीतियों पर हमें मूलभूत रूप से सोचना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते चीनी की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि देश में

[श्री ब्रजराज सिंह]

चीनी की खपत बढ़ायी जा सकती है । और ऐसा करना किसान के हित में होगा । मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे । अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो जो हम अपनी योजनाओं के नाम पर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उस में भी बड़ी हानि होगी ।

हमारे देश के विकास में किसान का बहुत बड़ा हिस्सा है और यह खुशी की बात है कि जहां तक चीनी का सम्बन्ध है किसान ने अपना गन्ने का उत्पादन बढ़ा कर उस लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने में सहायता की है जो कि उस के लिए निर्धारित किया गया था । लेकिन अब आप कहते हैं कि उसको इतना उत्पादन नहीं करना चाहिए और हम इसका नियमन करेंगे, हम कानून बनायेंगे कि तुम इससे ज्यादा पैदा न कर सको । मेरा निवेदन है कि इस से न तो किसान को कोई हित होगा और न चीनी उद्योग का ही कोई फायदा होगा । उसके लिए कुछ दूसरे कदम उठाने की आवश्यकता होगी । और मेरा सुझाव है कि अब समय आ गया है जब सरकार को देखना चाहिए कि चीनी पर जो बहुत बड़ा कर भार है उसको कितना कम किया जा सकता है । इस चीज की परीक्षा की जानी चाहिए कि चीनी को बाहर भेजने में कितना नुकसान होता है और उसके मुकाबले में उस पर कर भार कम करके देश में उसकी खपत बढ़ाने में कितना नुकसान होगा । अगर अन्दरूनी खपत बढ़ाने में कम नुकसान हो तो सरकार को हिन्दुस्तान में चीनी की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी पर एक्साइज कर में कुछ कमी करनी चाहिए ।

उसी के साथ साथ कुछ और सुविधाएं देनी चाहिए जिससे हिन्दुस्तान में चीनी की खपत बढ़े और इस उद्योग का अधिक विकास हो । हम को कुछ अन्य देशों में भी बाजार तलाश करने चाहिए जहां को हमारी चीनी का निर्यात हो सके । हम अमेरिका को पांच लाख टन चीनी बेचना चाहते हैं । हम को यह भी देखना चाहिए कि क्या हम अपनी चीनी का निर्यात पूर्व के और सुदूरपूर्व के कुछ देशों को या कम्युनिस्ट ब्लाक के देशों को कर सकते हैं । हमें इस समस्या को हल करने के लिए सारे विश्व के आधार पर विचार करना चाहिए । अगर हम उन देशों को अपनी चीनी का निर्यात करने का प्रयत्न करें जिन को अभी तक हमारी चीनी का निर्यात नहीं हो रहा है, तो सम्भव है कि चीनी का उत्पादन कम करने की आवश्यकता ही न पड़े । और जितना उत्पादन है उसको हम आसानी से खपा सकें ।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश की खेती योग्य भूमि का अधिक हिस्सा गन्ने की खेती में नहीं जाना चाहिये क्योंकि हमको अपना खाद्य का उत्पादन भी बढ़ाना है । लेकिन आपको देखना चाहिये कि देश की खेती योग्य भूमि का कितना हिस्सा अधिक गन्ने की खेती में चला गया है । मंत्री जी ने इस विषय पर भाषण करते हुए बताया था कि देश में जो खेती योग्य भूमि है उसका कितना परसेंटेज गन्ने की खेती में है । मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय अपने उस पहले भाषण को याद कर लें और देखें कि यह जो पांच लाख एकड़ अधिक भूमि में गन्ने की खेती होने लगी है यह कुल खेती योग्य भूमि का कितना हिस्सा है । मेरे विचार से यह कुल खेती योग्य भूमि का बहुत छोटा परसेंटेज होगा । ऐसी शक्ल में इतनी खेती गन्ने की बढ़ जाना कोई विशेष बात नहीं है और इससे कोई विशेष हानि नहीं हो सकती थी और चूंकि इस खेती में किसान को कुछ पैसा मिल जाता है इसलिये इसको कम न

करके सरकार को चीनी की खपत के उपाय सोचने चाहिए थे ।

इन सारी बातों पर विचार करने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस आर्डिनेन्स को संसद के पिछले अधिवेशन के २० दिन बाद पास करने की कोई जरूरत नहीं थी । यदि उनके मंत्रालय को यह आवश्यकता महसूस हुई थी कि इस तरह का कानून बनना चाहिए तो या तो उनको इसे पिछले अधिवेशन में लाना चाहिए था और अगर उस समय इसको नहीं ला सकते थे तो वर्तमान अधिवेशन के लिये इन्तजार करना चाहिए था । ऐसा करने में कोई विशेष हानि नहीं होने वाली थी । लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, सरकार हिन्दुस्तान में जनतंत्रवादी परम्पराओं को विकास नहीं होने देना चाहती, उसका झुकाव एकाधिकारवाद की ओर अधिक है । वह चाहती है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जनता का कोई सहयोग और सहमति न हो । उसको मालूम है कि उसकी पार्टी का भारी बहुमत इस सदन में है और वह जो कानून चाहे पास करवा सकती है । अगर हम हिन्दुस्तान में जनतंत्रवादी परम्पराओं को मजबूत करना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि आर्डिनेन्स बनाने की प्रवृत्ति को कम करें और जहां तक हो सके आर्डिनेन्स न बनावें । जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो तो आर्डिनेन्स बनाया जाये । मेरा अपना खयाल है कि इस विषय में सरकार को आर्डिनेन्स बनाने की जरूरत नहीं थी ।

दो तीन साल से चीनी की स्थिति ऐसी चल रही थी कि सरकार चाहती तो इस प्रकार का कानून ला सकती थी । और अगर पिछले अधिवेशन में इसको लाना भूल गई थी तो वर्तमान अधिवेशन के लिये इन्तजार कर सकती थी लेकिन सरकार को इंतजार करने की क्या जरूरत है । उनका प्रबल बहुमत है । देश की जनता जागृत नहीं है और सरकार को देश की जनतंत्रवादी परम्परा को एक बार तो ठेस पहुंचानी ही है । कहीं न कहीं किसी वक्त सरकार को जनतंत्र की हत्या कर देनी है । इसीलिये ये आर्डिनेन्स पास किये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि यह आर्डिनेन्स आवश्यक न था और न आज इस कानून का पास किया जाना ही आवश्यक है खास तौर से जब कि ऐसा करने से किसानों के हितों का हनन होता हो ।

लेकिन अगर खाद्य मंत्री महोदय इस बिल को पास कराना ही चाहते हैं तो मैं उनसे एक आश्वासन चाहूंगा कि जो गन्ना किसान बो चुका है और जो किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को देता रहा है उसका गन्ना किसी भी शक्ल में खेत में खड़ा नहीं रहना चाहिये । आज उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में स्थिति यह है कि किसानों का गन्ना पेरा न जा सके । इसलिये मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय आश्वासन दे कि चाहे कुछ भी हो, हम यह कानून भले ही बना लें, लेकिन उसके बाद किसी किसान का गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहेगा, उसको वह पिरवाने का प्रबन्ध करेंगे चाहे चीनी की शक्ल में या गुड़ की शक्ल में । मैं चाहूंगा कि इस बारे में मंत्री महोदय पक्का आश्वासन दें कि गन्ने के किसान को कोई हानि नहीं होने दी जाएगी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा और जो बिल खाद्य मंत्री महोदय ने पेश किया है उसको मंजूर नहीं करेगा ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Members may kindly be brief in their speeches. The subject is the same, though there are two motions.

श्री विभूति मिश्र (बगहा) उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी किया गया है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, पर मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि उसने जो यह अध्यादेश जारी किया उसके लायक यह मसला नहीं था । अगर सरकार की तरफ से केवल एक कम्युनिके निकाल दिया जाता तो अगले साल किसान गन्ना कम बोता। लेकिन सरकार ने आर्डिनेन्स जारी करके बड़ा जबरदस्त मेजर लिया । हो सकता है कि इस विषय में अपने अपने विचार में फर्क हो ।

16·27 hrs.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

दूसरी बात मुझको यह कहनी है कि बिहार के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये चार लाख टन चीनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था पर पिछले साल बिहार में केवल ३·८० लाख टन चीनी ही हो पायी, २० हजार टन चीनी लक्ष्य से कम रही, लेकिन फिर भी आप बिहार पर यह आर्डिनेन्स लागू करने जा रहे हैं। म बतलाना चाहता हूं कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ, उनको घाटा हुआ । मेरे जिले में पारसाल ५ करोड़ मन गन्ना हुआ था । हो सकता है कि इस साल कुछ ज्यादा हुआ हो। लेकिन सरकार को यह आर्डिनेन्स जारी करने के साथ ही साथ इस बात की भी खबर लेनी थी कि किसानों का सारा गन्ना पेर दिया जाए । इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया ।

पिछले साल मिल ७ नवम्बर से ६ नवम्बर के बीच चलने लगे थे । इस साल १५ नवम्बर से मिल चलने आरम्भ हुए हैं और जैसा कि अनिरुद्ध बाबू बतलाते हैं दरभंगा में और चम्पारन में तो मिलें चलने में आठ नौ दिन की देरी हुई है । और भी कुछ स्थानों में चीनी मिलें चलने में देरी हुई है। एक तरफ तो मिलें देर से चली हैं और दूसरी तरफ इस साल गन्ने की बम्पर क्राप हुई है। तो यह गन्ना कहां पेरा जायेगा ।

इसी सिलसिले में मैं एक बात मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४०-४१ में बिहार में बहुत ज्यादा गन्ना पैदा हुआ था। उस गन्ने को पेरने का इन्तिजाम सरकार नहीं कर पायी और चीनी मिल वालों ने गन्ने को नहीं पेरा । उस साल जब कि अंग्रेजी सल्तनत थी सरकार ने किसानों को ७ लाख ६ हजार रुपया मुआवजा दिया । जो प्लांट केन था उसके लिए ४५ रुपये प्रति एकड़ और जो रतून केन था उसके लिए २० रुपया प्रति एकड़ उस साल सरकार की ओर से किसान को मुआवजा दिया गया था । मैं समझता हूं कि इस साल भी सरकार को किसान के गन्ने को पेरने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए । किसान का जो गन्ना पेरा नहीं जा सकेगा और खेत में खड़ा रहेगा उसका सरकार को मुआवजा देना चाहिए ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे मंत्री महोदय बराबर कहते रहते हैं कि हम को अपनी चीनी के लिए बाजार नहीं मिलता है। इंगलैंड आस्ट्रेलिया से ६२२ रुपये प्रति टन के हिसाब से चीनी खरीदता है । हमारे यहां चीनी पर टैक्स है १४ रुपये ६ आने प्रति मन और उसकी एक्स फैक्टरी प्राइस सरकार ने रखी है ३७ रुपये ८५ नये पैसे । अगर इस में से हम १४ रुपये ६ आने निकाल दें तो चीनी की कीमत २३ रुपये और ४८ नये पैसे रह जाती है। अगर २७ मन का एक टन मानें तो हमारी चीनी की कीमत ६३३ रुपया ९६ नये पैसे प्रति टन पड़ेगी। जिस में ५ रुपया मन सरकार ने मिल वालों को मुनाफे और कुछ टैक्स वगैरह की शक्ल में दिया है ।

अगर इस को कम कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जिस रेट पर इंगलैंड आस्ट्रेलिया और फिजी से चीनी खरीदता है वही रेट हमारा भी पड़ जायगा । अब उचित तो यह है कि सरकार अपनी चीनी के निर्यात के वास्ते बाजार ढूंढे न कि उसके अधिक उत्पादन से परेशान हो जाय । यह किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ कि जब उनका गन्ना खेत में खड़ा है तो सरकार ने उस समय यह आर्डिनेंस निकाल दिया । पिछले साल आर्डिनेंस निकालते तो और बात थी लेकिन जब गन्ना तैयार है और मिलों में पेरने लायक है तब जो इस तरह का आर्डिनेंस हमारी सरकार निकालती है तो वह उचित बात नहीं है । अब इसके लिए हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसा करके हम उनको एलेक्ट्रिक शौक लगा रहे हैं लेकिन अब पाटिल साहब से मेरा यह निवेदन है कि कहीं इतना इलेक्ट्रिक शौक न लगा दिया जाय कि मरीज ही मर जाय । मुझे तो आशंका है कि आपका यह इलेक्ट्रिक शौक ट्रीटमेंट मरीज को ही मार डालने वाला साबित होगा । अब जहां तक मंत्री महोदय के हृदय का सम्बन्ध है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके दिल में किसानों की भलाई का ख्याल रहता है। हमारे मंत्री महोदय किसानों के जबर्दस्त हितैषी हैं और मैं समझता हूं कि जितना वह किसानों के इंटरैस्ट्स को समझते हैं उतना मैं भी नहीं समझता । लेकिन मैं समझता हूं कि कभी कभी डाक्टर से इलाज करने में गलती भी हो जाती है और इसीलिए मैं ने अपने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वह इतना जबर्दस्त इलेक्ट्रिक शौक का ट्रीटमेंट न दें । हमारे मंत्री महोदय इस में ऐक्सपर्ट हैं और मैं चाहूंगा कि जितना इलेक्ट्रिक शौक दिया है उसको वे कम करें ताकि किसान जिंदा रहें क्योंकि अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो फिर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है । इसलिए मैं उन से कहूंगा कि चीनी का बाजार ढूंढने की बड़ी जरूरत है ।

मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट किस जगह है । आप हम से ४५ करोड़ रुपया सालाना चीनी के ऊपर टैक्स लेते हैं । मैं समझता हूं कि अगर यहां फाइनेंस मिनिस्टर होते तो ज्यादा अच्छा होता । १५ करोड़ रुपया आप चीनी पर सबसिडी दीजिये और बाहर भेजिये । ३० करोड़ रुपया टैक्स लीजिये और १५ करोड़ उस पर सबसिडी दीजिये ताकि बाहर चीनी भेजी जा सके । लेकिन यह आप नहीं करते । मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस साल जो गन्ना खेतों में खड़ा है उस गन्ने को पिरवा देने का वह पूरा पूरा इंतजाम करें । खैर आप ने ७-८ रोज मिल देर से चलाने के लिए तो कुछ नहीं किया लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब तक सारा गन्ना किसानों का न पेरा जाय तब तक सरकार को चैन नहीं लेना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि बहुत से भाई कहते हैं कि और फसलों के बारे में क्यों नहीं कहा जाता है कि क्या करना चाहिए यह गन्ने के बारे में ही क्यों बोलते हैं । मैं बतलाना चाहता हूं कि चाहे बिहार हो अथवा ईस्टर्न यू० पी० एव्रेज प्रोडक्शन पर एकड़ जाकर ३०० मन का पड़ता है । ३०० मन पर १० परसेंट के हिसाब से ३० मन चीनी हुई और ३० मन चीनी के ऊपर १४ रुपये ६ आने आप का टैक्स है । लगभग ४००-४५० रुपये इस तरीके से टैक्स हुआ, जो कि एक एकड़ जमीन में सरकार को मिलता है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी जमीन हिन्दुस्तान में है जिस जमीन से कि सरकार को एक एकड़ में ४००-४५० रुपया टैक्स मिलता है ? अब सही बात तो यह है कि किसानों को कोई अंदाजा तो रहता नहीं है कि एक एकड़ में कितना गन्ना पैदा होगा । अब होता यह है कि किसी साल तो एक एकड़ में ३०० मन गन्ना पैदा होता है तो किसी साल उसी एक एकड़

[श्री विभूति मिश्र]

में ६०० मन तक गन्ना पैदा हो जाता है । अब आज अगर किसान ने मेहनत करके ज्यादा गन्ने का उत्पादन कर दिखाया है तो उस के लिए परेशान क्यों हुआ जाय । एक दिन वह भी था जब आप बाहर से चीनी मंगाते थे और आज चीनी जब अधिक पैदा होने लगी है तो आप परेशान हो गये । बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जिन के कि कोई बाल-बच्चा नहीं होता है और उसके लिए वह बड़ा यत्न करते हैं, इंतजाम करते हैं और अगर उनके वहां बालबच्चे हो जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को खिलायें कहां से । अब अगर ज्यादा गन्ना पैदा हो गया या ज्यादा बालबच्चे हो गये तो यह तो खुशी की बात है । आप उन का इंतजाम कीजिये । घबराते क्यों हैं । मैं तो समझता हूं कि हमारे पाटिल साहब को इसके लिए खुश होना चाहिए कि उनका किसान इतना तगड़ा है कि उसने इतना गन्ना पैदा कर दिया ।

हमारे बिहार में यह खंडसारी और गुड़ का रिवाज नहीं है । मैं अपने जिले की बाबत कह सकता हूं कि हमारे वहां कम से कम ५ करोड़ मन गन्ना पैदा होता है । करीब साढ़े ७ या ८ करोड़ रुपये का गन्ना हमारे जिले में मिलता है । पहले हमारे जिले की ऐसी हालत थी कि १०, १० मील तक कोई सफेद मकान नहीं नजर आता था लेकिन आज हालत यह है कि हर गांव में ५, १० सफेद मकान दिखाई पड़ते हैं । आज लोगों की आर्थिक अवस्था बेहतर हो गई है । आप अगर इसका इंतजाम नहीं करेंगे कि किसानों का तमाम गन्ना पेरा जा सके तो मैं समझता हूं कि इस साल किसानों की बड़ी तबाही होने वाली है और उस हालत में हमारे यह विरोधी लोग फायदा उठायेंगे । मैं अपने पाटिल साहब से चाहूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि वे इस तौर पर फायदा न उठा सकें । हमारे पाटिल साहब जोकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं विरोधी दल के लोगों को उनकी आलोचना का समुचित उत्तर दे सकेंगे । जो भी हो उनको किसानों को जरूर बचाना चाहिए ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां उत्तर प्रदेश में कुछ फैक्टरियां हैं जो कि मेरे जिले से सम्बन्धित हैं । ४० लाख मन गन्ना हमारे बिहार से वहां पर जाता है । अब उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के कारखानेदार कहते हैं कि हम गन्ना नहीं लेंगे तो मैं यह चाहता हूं कि पिछले साल जिस फैक्टरी ने जिस ऐरिया से जितना गन्ना लिया था इस साल भी उस फैक्टरी को आप इस बात की हिदायत दें कि वह उतना गन्ना अवश्य ले ताकि उन के साथ जस्टिस हो सके । ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश में जब गन्ने की कमी थी तब हमारे यहां से खरीदते थे और अब जब ज्यादा फसल हो गई तो हमारे यहां का गन्ना छोड़ दें क्योंकि अगर उन्हें वैसा करने दिया गया तो हमारे बिहार का किसान मर जायगा । इसलिए मैं पाटिल साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा इंतजाम करें ताकि बिहार का किसान जो गन्ना वह खेतों में पैदा करता है वह उसका पड़ा न रह जाय और वह फैक्टरीज में पेरा जा सके ।

अब मैं एव्रैज एक्रेज के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । हमारे पाटिल साहब सरकारी आंकड़ों के बारे में बड़ा विश्वास करते हैं लेकिन हमारे भूतपूर्व किदवाई साहब इन सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते थे और वह कहते थे कि सरकारी आंकड़े बहुत गलत हैं । अब चेअरमैन साहब, आप भी किदवाई सहब के जमाने में सदस्य थे और मैं भी सदस्य था और हम जानते हैं कि वह सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते थे । इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो आंकड़ा

दिया गया है कि ९ लाख एकड़ की एव्रेज ईल्ड बढ़ गयी है उसके ऊपर विश्वास न किया जाय . . .

श्री डी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : फिर कौन सा ऐसा आंकड़ा है जिस पर कि विश्वास किया जाये ?

श्री विभूति मिश्र : जरा सुनिये तो मैं बतलाता हूं । आप कहां जानते हैं आप तो प्रोफेसरी कीजिये ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि इस साल जहां पानी ज्यादा हो गया है वहां पर खेती की बरबादी भी हुई है । आप ने बतलाया कि ४ परसैंट गन्ना ऐक्सैस हो गया है लेकिन मेरा अपना खयाल है कि इससे ज्यादा होगा क्योंकि फैक्टरियों में कभी कभी हड़ताल भी हो जाया करती हैं और सब मिला जुला कर मेरा अपना अंदाजा है कि यह ऐक्सैस ४ परसैंट से ज्यादा पड़ेगा और यह कोई ७–८ परसैंट पड़ेगा । आप ने जो यह आर्डर निकाल दिया है कि दस फीसदी गन्ना इस साल हम मिलों में कम देंगे तो इस आर्डर को आप वापिस लीजिये क्योंकि जब तक आप यह आर्डर रक्खेंगे मिल वाले चाहेंगे कि मिलों में काम धीरे धीरे चलायें । मिल वाले इस चक्कर में हैं कि वह धीरे धीरे चलायें ताकि किसानों के अन्दर बेचैनी हो और सरकार पर प्रैशर डालें और वह गन्ने की कीमत कम करे । यह सारा मामला इसीलिए है । यह पूंजीपति लोग बड़े होशियार होते हैं और इनकी नीचे से ऊपर तक लाग डाट है । हम किसानों को कौन पूछता है । हमारी पूछ तो अगले साल होगी अभी पूछ नहीं होगी । मैं बतलाना चाहता हूं कि यह मिल मलिक और पूंजीपति इस चक्कर में हैं कि गन्ने की कीमत कम हो नहीं तो सरकार उनके टैक्स में कुछ कमी करे और उसके वास्ते वह यह चीजें करते हैं । पार साल मिलें ७ और ६ नवम्बर से चली थीं जबकि इस साल १५ नवम्बर के बाद से मिलें चल रही हैं । अब जाहिर है कि काफी गन्ना पेरने के वास्ते होगा । अब जहां तक जवाब देने का ताल्लुक है तो कोई भी आदमी कुछ भी जवाब दे सकता है । हमारे मंत्री महोदय जवाब देने में बड़े होशियार हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनके जवाब से मुझे संतोष नहीं है अलबत्ता उनके हृदय से मुझे संतोष है । मुझे मंत्री महोदय की सेवा में और अधिक न कहते हुए केवल यही निवेदन है कि आप किसानों का जितना भी गन्ना उनके खेतों में खड़ा है उसको पिरवा दीजिये और उनका भला कीजिये ।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : सभापति महोदय, अब यह आर्डिनेंस और साथ ही साथ बिल आज विरोधी तर्क वितर्क का लक्ष्य बने हुए हैं । उनमें मौलिक अन्तर तो है ही साथ ही साथ यह भी है कि किसानों की समस्या हल करने की बात तो बाद को आती है लेकिन जो आक्षेप एक दूसरे पर यहां हो रहे हैं वह सबसे प्रमुख हैं ।

यह सही है कि हिन्दुस्तान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में लगभग ४५ लाख एकड़ गन्ना था जबकि इस समय लगभग ६१लाख एकड़ भूमि में गन्ना खड़ा है । किसानों की आर्थिक दशा देखते हुए उनका उस तरफ झुकना स्वाभाविक सा है क्योंकि गन्ने की खेती करने से उनको अधिक लाभ होता है । जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है, भारत में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी किसानों की प्रवृति दूसरे खाद्यान्नों की अपेक्षा गन्ने की तरफ बढ़ रही है । यह तथ्य सब को ज्ञात है कि भारत के किसानों की दशा व्यवसायियों और दूसरे लोगों से गिरी हुई है, इस लिए उन का गन्ने की खेती बढ़ाना स्वाभाविक है, लेकिन प्रश्न यह है कि उस

[श्री विश्वनाथ राय]

खेती के बढ़ने से देश की अर्थ-व्यवस्था और खासकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और किसानों का, जो जन-संख्या के अस्सी प्रतिशत हैं, भविष्य कैसा रहेगा। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने पहले आर्डिनेंस जारी किया और अब यह बिल पास करने जा रही है। अभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उस का लक्ष्य भी यही है कि गन्ने की खेती करने वालों के हितों की रक्षा की जाये। दोनों का ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाये कि उन लोगों के हितों की रक्षा की जाय और उन का भविष्य अन्धकार में न पड़ जाय।

यह स्पष्ट है कि अगर इस तरह से गन्ने की खेती बढ़ती गई, तो अन्न की कमी के साथ साथ चीनी का बाहुल्य होगा और अगर चीनी का भाव गिरेगा, तो गन्ने का भाव गिर सकता है, यह तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यह स्थिति पैदा होने से पहले सरकार ने जब गन्ने का उत्पादन् बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया, तो अन्न के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हुआ हो या न, लेकिन गन्ने और चीनी के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो गया। यदि किसान अन्नोत्पादन के संबंध में देश के किसी लक्ष्य को सब से पहले पूरा कर रहा हो, तो उसको इस प्रकार इलैक्ट्रीक शाक, बिजली का शाक, देने की बात मुझ जैसे गांव वालों की समझ में नहीं आती। अगले साल गन्ने की खेती और बढ़ सकती थी। दूसरी योजना के आरम्भ में ४५ लाख एकड़ भूमि पर गन्ना बोया जाता था, जब कि इस वक्त ६१ लाख एकड़ गन्ना खड़ा है और इस का प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन इस के साथ ही साथ गन्ने के किसानों ने अपनी आर्थिक दशा भी सुधारी है। हो सकता है कि हमारी चीनी रह जाय। यह सही है कि रिज़र्व या स्टेट बैंक का बहुत सा रुपया फंसा हुआ है, लेकिन साथ ही भारत में आज भी कई करोड़ रुपया किसानों का मिल-मालिकों के ज़िम्मे है और किसान अपना मूल्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। अगस्त के अन्त में, सितम्बर में, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने बताया कि लगभग चार करोड़ रुपया किसानों का मिल-मालिकों के ज़िम्मे था। मैं अपने ज़िले की एक मिल, डायमण्ड शूगर मिल, की बात करता हूं, जिस ने सेस के बारे में हाईकोर्ट से रिट दाखिल किया था और जिसके कारण सरकार को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा था। उसके ज़िम्मे सितम्बर के आरम्भ में लगभग १५ लाख रुपया गन्ने का मूल्य बाकी था। सेस का भी बाकी है। और भी झगड़े हैं, बहुत सी बातें हैं। यह एक ही साल पहले की बात नहीं है। मैं पिछले नौ दस साल से लोक सभा में हूं। हर साल प्रश्नों के उत्तर में बताया जाता है कि सीज़न खत्म हो जाने के बाद, ३० जून के बाद, करोड़ों रुपया मिल-मालिकों के ज़िम्मे रहता है। यह बात ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये घातक और हानिकर है।

गन्ने की खेती करने वाले किसानों की संख्या थोड़ी नहीं है। १९५१ की जन-गणना के अनुसार दो करोड़ से अधिक कृषक ऐसे थे, जो गन्ने की खेती करते थे। इस वक्त उन की संख्या तीन करोड़ के लगभग हो गई होगी। इन तीन करोड़ कृषकों के लिये, जिन का पैसा प्रायः बाकी रह जाता है, अब भी बाकी है, इलैक्ट्रिक शाक की जरूरत नहीं थी। उनको इस विषय में एक साल पहले चेतावनी दे देनी चाहिए थी।

चीनी का उत्पादन दस प्रतिशत कम करने का विचार है। यह सही है कि फिलहाल चार ही प्रतिशत कम होने की बात है। लेकिन

गन्ने की पैदावार १९६०–६१ की अपेक्षा इस साल बढ़ी है। १९६१–६२ के सोजन में जो गन्ना इस बिल के लागू होने के कारण पेरने के लिये बाकी रह जायगा, उससे समस्यायें बढ़ेंगी। मन्त्री महोदय ने यह तर्क दिया कि गन्नों से गुड़ या खांडसारी बनने की अपेक्षा मिल में ज्यादा जाने से चीनी का उत्पादन बढ़ा। लेकिन एक लाभ यह भी हुआ कि जो तीन प्रतिशत चीनी खांडसारी में जाने से बरबाद होती है, या गुड़ में जाने से उससे भी अधिक नुकसान होता है, फैक्ट्री में जाने से उसकी बचत हो गई। मैं तो कई साल से इस विचार का हूं कि खांडसारी या गुड़ को प्रोत्साहन देना तीन प्रतिशत चीनी रुपी राष्ट्रीय क्षति को और बढ़ावा देना है।

इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह इलैक्ट्रिक शाक अगले साल के लिये रखे। इस साल वह अच्छी तरह से प्रचार कर के किसानों को काबू में कर लें, लेकिन इस वक्त जो गन्ना खड़ा है, जो कि फैक्ट्रियों को दिया जाना चाहिये, उसको देने के लिये वह सुविधा दे, न कि कोई प्रतिबन्ध लगा कर वह उस को फैक्ट्रियों को देने से रोके।

गत वर्ष उत्तर प्रदेश में भारत के शूगर का ५०.३४ प्रतिशत उत्पादन हुआ। जिस प्रकार भारत के दूसरे भागों में यील्ड भी बढ़ी है और प्रतिशत गन्ने की पैदावार में पहले से कुछ अधिक वृद्धि हुई है, वैसे ही उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में भी हुई है। मैं मानता हूं कि हमारा गन्ने का प्रतिशत उत्पादन उतना नहीं है, जितना दक्षिण का है। लेकिन उस के कुछ कारण हैं, जिन में जाना इस समय सम्भव नहीं है। फिर भी यह जरूर है कि भारत के किसानों की दशा कुछ संतोषजनक नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के किसान उनसे भी ग़रीब हैं और उन की दशा और भी बुरी है। इसी कारण वहां पर गन्ने की खेती बढ़ रही है, क्योंकि वही एक मात्र साधन है, जिससे वे अपनी आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा उद्योग धंधा चीनी का है दूसरी कोई एसी वस्तु वहां पैदा नहीं होती, जिससे वहां के लोग अपनी जीविका चला सकें। उनके हितों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उन को कम से कम इस लायक रखा जाये कि उनका जो सामान इस समय खेतों में है, जिस पर अगले साल के लिये उन की आशायें बंधी हुई हैं, वह बरबाद न हो, बल्कि उनको उचित सुविधायें दी जायें।

पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्हू वगैरह लगाने को हतोत्साहित किया और उसमें लाइसेन्स की व्यवस्था रखी। लेकिन अब चूंकि फैक्ट्रियों में दस प्रतिशत गन्ना कम जायगा, तो बचे हुए गन्ने के लिये वह कोल्हू लगाने के लिये प्रोत्साहन दे रही है। फैक्ट्रियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा कर सरकार चीनी की पैदावर पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगा रही है, बल्कि गन्ने की बिक्री में इससे रुकावट पड़ रही है। सरकार को इस ओर भी विचार करना चाहिये कि इस तरह गन्ने का प्रतिशत कितना बढ़ जायगा। इस बिल को मैं बहुत दूर तक आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए या काबू में रखने के लिए उपयोगी समझता हूं। मैं साथ ही साथ यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी समझता हूं कि जो किसान गन्ना बेचना चाहता है, उसके रास्ते में किसी तरह की रुकावटें खड़ी न की जाएं बल्कि उसको ऐसा करने की हर सम्भव सुविधा दी जाए।

जो फैक्ट्रियां अधिक चीनी का उत्पादन करती हैं उन के एक्स्ट्रा १० परसेंट चीनी उत्पादन पर ड्यूटी लगाने का आपका खयाल है, उसके बारे में कोई ऐसा प्रबन्ध आप करें कि जितना भी गन्ना किसान दें उसको वे ले लें और उस ड्यूटी में कुछ परसेंट कम करके गन्ने की

[श्री विश्वनाथ राय]

कीमत वे किसानों को अदा कर दें। इस तरह से करने से गन्ने की खपत हो जाएगी।

माननीय मंत्री जी की दूरदर्शिता में विश्वास रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आतंक किसानों में फैल गया है, जो घबराहट उन में फैल गई है, जो परेशानी वे अनुभव करने लगे गए हैं, उसको दूर करने का वह प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि गन्ने से उनको जो पैसा मिलता है और जिसको लेकर उन्हें अन्य जरूरी चीज़ें खरीदनी हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालना है, वह उनको मिल जाए और इन जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने में उनके रास्ते में कोई रुकावट न आए।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : सभापति जी, चीनी के संबंध में बराबर कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। यह आश्चर्य की बात है कि चीनी का व्यापार, चीनी का उद्योग जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में है और जिसका वह पैर से लगा कर चोटी तक नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, उसको भी संकट का सामना करना पड़ता है। कभी तो चीनी एक दम कम हो जाती है और कभी इतनी अधिक हो जाती है कि उसको निकालने की सरकार के सामने समस्या उठ खड़ी होती है और सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसको कैसे बेचा जाए।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस काम को करने के लिए बहुत योग्य व्यक्ति हैं और वह इस समस्या को हल करने की चेष्टा कर रहे हैं। परन्तु उनको इस उद्योग के सम्बन्ध में करोड़ों आदमियों पर भरोसा करना पड़ता है और उनके कोआप्रेशन पर ही उनकी सफलता निर्भर करती है। यदि सब लोग मिल कर इस प्रश्न पर प्रैगमैटिक तरीके से विचार करें और सोचें कि किस तरह से इसको हल किया जा सकता है और माननीय मंत्री जी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तो यह समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती है।

आज समस्या हमारे सामने यह है कि चीनी का उत्पादन जो बढ़ गया है, और जो चीनी पड़ी हुई है, उस को किस तरह से खपाया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चीनी की खपत में बेशी होने से डर है कि बीमारी न हो जाए। इस से बीमारी बढ़ने का डर है। यह बात ठीक हो सकती है। लेकिन जो आंकड़ा दिया गया है अन्य देशों के सम्बन्ध में कि वहां इतनी खपत होती है, उस के मुकाबले में हमारे यहां बहुत कम खपत चीनी की होती है। इस के साथ ही साथ यह बात भी सच है कि अन्य देशों में शायद इतनी गुड़ की खपत नहीं होती है जितनी कि हमारे यहां होती है। इस वास्ते हमें ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी जिस से चीनी की खपत और बढ़े। चीनी के व्यापार को हम चीनी की खपत बढ़ा कर जिन्दा ही रख सकते हैं। जब तक चीनी की खपत नहीं बढ़ेगी तब तक इस व्यापार में बराबर हलचल मचती रहेगी।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि किसानों को कम कीमत गन्ने की न मिले। यह बात ठीक है। लेकिन किसान को भी मंत्री महोदय से सहयोग करना चाहिये। यदि हम गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ा दें तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। साथ ही साथ वैसा गन्ना पैदा करें कि जिस में से चीनी अधिक निकल सके। हमें चाहिये कि हम देखें कि गन्ने के नीचे एकरेज भी बेशी न हो और अगर एक एकड़ में दो सौ रुपये का गन्ना निकलता है, तो उसमें से अधिक रुपये का गन्ना पैदा हो। हमारे एक माननीय

सदस्य ने कहा है कि तीन सौ मन अगर एक एकड में पैदा होता है तो उसको हम आसानी से छः सौ मन कर सकते हैं और उसमें इस प्रकार का गन्ना बो सकते हैं जिस में से चीनी की मात्रा भी पहले से अधिक आए। यह भी एक उपाय है जिस से यह समस्या हल हो सकती है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे किसान को पैसा भी बेशी मिले और हमारे देश को भी लाभ हो और यह समस्या जो बार बार उत्पन्न होती है, उत्पन्न न हो। अगर गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ा दिया जाए और उसमें चीनी भी अधिक निकले तो किसान को भी पैसा अधिक मिलेगा चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपभोक्ता को भी चीनी सस्ते भाव में मिलेगी। इस काम में मैं समझता हूं सभी के सहयोग की आवश्यकता है। केवल टीका टिप्पणी करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर हम करना चाहें तो पचास टीका टिप्पणियां कर सकते हैं। इसमें किसी का कुछ लगता नहीं है (*Interuptions*) हमें इस दृष्टि से इस पर विचार करना होगा कि किस तरह से यह समस्या हल हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे इस तरीके से यहां पर भी काम करें जिससे देश को लाभ हो और इस दृष्टि से न करें, जिससे कोढ़ में खाज हो . . .

श्री ब्रज राज सिंह : देश का लाभ आपका ठेका है।

श्री झुनझुनवाला : हम नहीं, आप ठेका ले कर आए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप जिस तरह से काम करते हैं, वह सही नहीं है। आप किसानों को उभाड़ते हैं। अगर इस तरह से आप न करें तो कुछ फायदा हो सकता है।

में कहना चाहता हूं कि हम देखें कि चीनी सस्ती कैसे हो सकती है। तह लोग टर्म प्रावलैम है और इस बात का माननीय मंत्रीं जी बराबर कहते आए हें। जब तक इस काम में सभी लोग सहयोग नहीं देंगे, लाभ नहहो हो सकता है। जो अभी मसला हमार सामने पैदा होगया हैं और उको हम करने के लिये मंत्री महोदय ने जो इलाज सुझाया है उससे तो मैं समझता हूं और उलझनें पैदा होंगी। इसके से मसला सुधरेगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। आपने कहा है कि जो चीनी मिलें अधिक चीनी पैदा करेंगी उन पर अधिक एक्साइज ड्यूटी आप लगा देंगे। अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं चीनी के दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़ने का नतीजा यह होगा कि चीनी की खपत कम होगी। ऐसी सूरत में कैसे वह इस मसले को हल करेंगे, यह हमारी समझ में तो नहीं आया है। अगर आप अधिक एक्साइज ड्यूटी उस चीनी पर लगाते हैं जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक चीनी पैदा होगी तो इसका नतीजा यह होगा कि जो फैक्ट्रियां हैं वे कम पैदा करेंगी क्योंकि एक तो उनको ड्यूटी अधिक देनी पड़ेगी और दूसरे चीनी के दाम बढ़ जायेंगे और उसके साथ ही साथ चीनी की खपत कम हो जाएगी। ऐसी सूरत में कितनी कम चीनी वे तैयार कर सकती हैं। करेंगो और यदि ऐसा हुआ तो गरीब किसानों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, उन पर बड़ी भारी आफत आ जाएगी। माननीय मंत्री जी का हृदय कितना भी कोमल किसानों के प्रति क्यों न हो और चाहे उनको कितना भी दुःख क्यों न होता हो यह देख कर कि किसानों को नुक्सान हो रहा है, परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह जो डाइलीमा है, इससे बाहर आप कैसे निकलना चाहते हैं।

[श्री झुनझुनवाला]

17 hrs.

उन्होंने कहा है कि यदि मिलें अधिक चीनी बनायेंगी तो यह उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे जिसका नतीजा यह होगा कि दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़न से खपत कम हो जायेगी। ऐसी हालत में मिलें यही चेष्टा करेंगी कि जितनी कम से कम चीनी तैयार की जा सकती है, तैयार करो। जब वे कम चीनी तैयार करेंगी तो किसानों के पास जो गन्ना है, वह कहां जाएगा उसका आप क्या सौल्यसन सोचते हैं। हमारे तो एक ही बात समझ में आती है कि यदि आप आखीर तक गन्ना पड़ा रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गन्ना अप्रैल, मई तक पेरा जाय तो किसानों को भी नुक्सान होगा और मिलों को भी नुक्सान होगा। कंज्यूमर्स को भी नुक्सान होगा। मैंने इस बात पर विशेष सोच विचार नहीं किया है लेकिन मेरी छुद्र बुद्धि में यह आता है कि अभी आप यह कर दीजिये कि मिलें जो हैं वे बैस्ट पीरियड में गन्ना पेरें, जिस वक्त कि गन्ने में सुक्रोज अधिक से अधिक हो, अभी चीनी मिलें न पेरें।

17.01 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

इससे यह होगा कि अभी चाहे जो कुछ तकलीफ हो लेकिन कम से कम आखीर में गन्ना पड़ा नहीं रहेगा जब कि वह सूख जाता है और उस में से न गुड़ बन सकता है और न चीनी निकल सकती है। आप यह कर दें कि हम आरम्भ में मिलों को न चलायें। अभी किसानों को गुड़ बनाने में सुभीता होगा। जाड़े के दिनों में ज्यादा गुड़ आसानी से बन सकता है और मिल तब चलेंगी जब कि बैस्ट पीरियड रहेगा। अगर उस वक्त मिल चलेगी तो चीनी अधिक निकलेगी और मिल वालों को वह किफायत में पड़ेगी। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से उन्होंन पहले रेगुलेशन बनाया था कि मई में चीनी बने और चीनी बना कर उस में जितना सुक्रोज मिले उससे के लिये . . .

Mr. Speaker: The hon. Member may resume his seat; he may continue his speech tomorrow.

BUSINESS OF THE HOUSE

Mr. Speaker: I would like to make an announcement. It appears the hon. Minister of Parliamentary Affairs said that there may not be sufficient work for the Government after the 8th. He has written to me to say that there is not more work judging from the way in which we have disposed of about five Bills a few days ago on the same day in a short time.

Some Hon. Members: Non-controversial Bills.

Mr. Speaker: He does not want to bring in controversial Bills. And non-controversial Bills would not take much time. In between the hon. Members will have sufficient time to go to their constituencies. So, the House will stand adjourned sine die on the 8th.

Shri Tangamani (Madurai): What happens to the questions?

Mr. Speaker: The hon. Member himself may suggest what I can do.

Shri Tangamani: What I would like is that the Question Hour may be extended for the last week.

Mr. Speaker: How long? For one week? The wholle week should be devoted to questions?

Shri Tangamani: These answers may be laid on the Table of the House. Otherwise, automatically they will lapse.